भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. **+119**

सोमवार, **18** नवम्बर, 2019/**27** कार्तिक, 1941 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटक स्थलों पर सिंगलयूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध

+119. श्रीमती लॉकेट चटर्जीः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को सिंगलयूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार पर्यटक स्थलों में सिंगलयूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को शिक्षित करने हेतु कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग) : जी हाँ। पयर्टन मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों के माध्यम से पर्यटक स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हितधारकों में जागरुकता उत्पन्न करके सिंगलयूज प्लास्टिक के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. प्रतिष्ठित स्थलों पर अभियान, प्लास्टिक श्रमदान आदि के द्वारा पर्यटकों में सिंगलयूज प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए जागरुकता उत्पन्न करना।

ii. स्थानीय जनसमुदाय/स्वयं सेवकों/ विद्यार्थियों/ संकाय आदि की सहायता से विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्यों/शिक्षा संस्थानों पर स्वच्छता अभियानों नामशः प्लास्टिक अपशिष्ट को इकट्ठा करना तथा इसका समुचित निपटान, का आयोजन।

इसके अलावा, मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटक स्थलों में सिंगलयूज प्लास्टिक के उन्मूलन के बारे में स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के उपाय करने और विशेष प्लास्टिक श्रमदान आदि का आयोजन करने की सलाह दी है।

****